कार्यालय सहायक आयुक्त(द्वितीय)देवस्थान विभाग, जयपुर

(मंदिर श्री रामचन्द्र जी, सिरहड्योढी बाजार, जयपुर दूरभाषः–0141–2611341 मेल ac.jaipur2.dev@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :– रिक्त सम्पदा नीलामी / 2022/13356 दिनांक :– 27/12/2022

–: किराया नीलामी सूचना :–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मन्दिरो की निम्नानुसार व्यवसायिक सम्पदाओं को मौके पर खुली बोली द्वारा मासिक किराये के आधार पर नीलामी किया जाना प्रस्तावित है।

अतः नीलामी में सम्मिलित होने वाले इच्छुक बोलीदाता निर्धारित धरोहर राशि के साथ–साथ स्वयं का परिचय पत्र जिसमें सम्बंधित के स्थायी पते का उल्लेख हो अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दिनांक 19.01.2023 को धरोहर राशि समय दोपहर 12 बजे तक जमा की जावेगी तथा नीलामी बोली दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक आयोजित होगी।

यदि कोई फर्म के नाम से बोली लगाना चाहे तो पंजीकृत साझा पत्र व फर्म के नाम से सम्बंधित दस्तावेज मौके पर पेश करना अनिवार्य होगा। उच्चतम बोलीदाता को अन्तिम उच्चतम बोलीदाता को उस वर्ष की देय राशि का 50 प्रतिशत किराया मौके पर ही नीलामी समिति को जमा कराना होगा।

क्र. सं.	सम्पदा का नाम एवं लोकेशन तथा नीलामी तिथि व समय	सम्पदा विवरण	धरोहर राशि	सरकारी बोली (बेस रेट) मासिक	वार्षिक किराया
1	रा.आ.नि.म. श्री जगदीशजी द्वारापुर, अलवर	दुकान नं. 1, व्यवसायिक	200/–	415/–	4980
		दुकान नं. 2, व्यवसायिक	200/–	415/–	4980
		दुकान नं. 3, व्यवसायिक	200/–	415/–	4980
		दुकान नं. 4, व्यवसायिक	200/–	415/–	4980

सहायक आयुक्त(द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

निविदा की शर्ते

1. **बोलीदाता की पात्रताः**—बोलीदाता को बोली के साथ अन्य विभागीय सूचनाओं के साथ–साथ आवश्यक रूप से अपना जन आधार नं/आधार न, मोबाईल नंबर, पैन नम्बर एंव ई–मेल आइडी उपलब्ध करवाना होगा। सफल बोलीदाता को अपना बैंक अकाउन्ट नम्बर, ब्रांच और आई.एफ.एस.सी. कोड भी उपलब्ध करवाना होगा। किसी तथ्य अथवा सूचना को छिपाने या गलत रूप में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी/बेदखली की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

2. **धरोहर राशिः**— बोली के साथ बोलीदाता को 200/— की धरोहर राशि नकद जमा करानी होगी। इसके अभाव में बोली स्वीकार नहीं की जावेगी। बोली में असफल रहने पर उक्त धरोहर राशि सम्बन्धित बोलीदाता को वापिस कर दी जावेगी। बोली में **एच–2** के रूप में असफल बोलीदाता की धरोहर राशि सफल, बोलीदाता **एच–1** के द्वारा निर्धारित धरोहर राशि जमा कराने की अंतिम तिथि तक विभाग के पास सुरक्षित रहेगी तदुपरान्त उसे यह राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जावेगी। सफल बोलीदाता को उस वर्ष की देय राशि का 50 प्रतिशत तत्काल जमा कराना होगा जो विभाग के पास प्रतिभूति के रूप में ब्याज रहित जमा रहेगा।

3. अधिकतम राशि के बोलीदाता को समिति द्वारा सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जायेगा तथा उससे निर्धारित अमानत राशि जमा करायी जायेगी। प्रत्येक नीलामी राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात ही अंतिम एवं प्रभावी होगी। राज्य सरकार द्वारा किसी भी नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकार किया जा सकता है। अस्वीकार करने की स्थिति मे जमा राशि बिना ब्याज के सफल बोलीदाता को लौटा दी जायेगी। आयुक्त/प्रमुख शासन सचिव महोदय देवस्थान विभाग से प्राप्त नीलामी अनुमोदन की सूचना सफल बोलीदाता को प्रदत्त मोबाईल नम्बर/ई–मेल आईडी से अथवा उनके पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से लिखित रूप में उपलब्ध करवा दी जायेगी। सफल बोलीदाता सूचना प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर बकाया राशि जमा करा कर संपदा का कब्जा आवश्यक रूप से प्राप्त करेगा। उक्त नियत अवधि में राशि जमा नहीं कराने स्थिति में नीलामी निरस्त कर जमा धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी।

4. **अनुबंधपत्र/लीज डीडः**— सफल बोलीदाता द्वारा समस्त नीलामी राशि व अन्य बकाया राशि जमा करने के पश्चात किरायेनामे का अनुबन्ध पत्र/लीजडीड निष्पादित करना होगा । नीलामी की शर्ते एवं तत्प्रभावी जी.एफ.एण्ड ए.आर के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/देवस्थान विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले परिपत्रों को अनुबन्ध पत्र में समाहित किया जायेगा।

5. **किराया जमा कराने की व्यवस्थाः**—किरायेदार को मासिक किराया नियमित रूप से प्रतिमाह 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से मन्दिर/संस्था के प्रबंधक के पास अथवा सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग के यहाँ नकद अथवा चैक द्वारा जमा कराना होगा।

6. सफल बोलीदाता का उस वर्ष की देय किराया राशि का 50 प्रतिशत तत्काल जमा करवाना होगा। बोली का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही सम्पदा किराये पर दी जायेगी। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में किरायानामा/अनुबन्ध पत्र विभाग के पक्ष में निष्पादित करना होगा।

7. स्वीकृति पश्चात 15 दिवस में सम्पदा का कब्जा प्राप्त करना होगा। बोली स्वीकार करने, स्थगित करने, नीलामी की दिनांक आगे बढ़ाने, तथा बोली बिना कारण

अस्वीकार करने का अधिकार नीलामी कमेटी तथा देवस्थान विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

8. किरायेदार को अपनी सम्पति पर सहजदृश्य रूप मे विभागीय फोरमेट कलर कोड व साईज के अनुसार देवस्थान विभाग का नाम एवं सम्पदा का विवरण लिखना आवश्यक होगा।

9. विभागीय सम्पत्तियां जिस प्रयोजन के लिये दी गई है, उसका उसी प्रयोजन अनुरूप उपयोग किया जाएगा। प्रयोजन परिवर्तन पूर्णतः निषिद्व होगा तथा उनका नियमन नही किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति मे किरायेदार को परिवर्तन व संपरिवर्तन का अधिकार नही होगा। आवंटन के पश्चात् सम्पदा को उपकिरायेदारी/सहकिरायेदारी/साझेदारी पर देना निषेध रहेगा यदि ऐसा पाया जावे तो आवंटी एंव उपकिरायेदार/सहकिरायेदार /साझेदार की बेदखली करते हुये दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी एवं प्रतिभूति राशि जब्त की जावेगी।

10. विभागीय किरायेदार मंदिर मर्यादा के विरूद्व कोई व्यवसाय या कार्यकलाप नही करेगा यथा मांस, मंदिरा विक्रय, जूआ, सटटा व विधि के विरूद्व आपराधिक गतिविधियां संचालित नही करेगा न ही उसमें संलिप्त होगा। निषिद्व व्यवसायों की सूची देवस्थान विभाग समय–समय पर जारी करेगा, जिसको मानने के लिये किरायेदार अनिवार्य रूप से बाध्य होगा।

11. किरायेदार को किसी भी रूप से सम्पति को रहन करने या हस्तांतरित करने का अधिकार नही होगा।

12. व्यक्ति की स्थिति में प्रत्येक किरायेदार को आवश्यक रूप से अपना जन आधार नं/आधार न, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी तथा नवीनतम पासपोर्ट साईज का एक रंगीन फोटो देना होगा। आवश्यकतानुसार उसे अपना बैक अकाउन्ट नंबर, ब्रांच और आईएफएससी कोड तथा पैन नम्बर भी प्रस्तुत करना होगा। संस्था की स्थिति में उनसे सम्बन्धित पंजीयन/लाईसेंस का नम्बर उपलब्ध करवाना होगा। तथा संस्था के मालिक/सदस्यों के आधार नं, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आईडी तथा नवीनतम पासपोर्ट साईज के रंगीन फोटो आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने होंगे।

13. दुकानदार को अपने दुकान के साईनबोर्ड पर देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में साईज के अनुसार कलर बोर्ड में देवस्थान विभाग का नाम एवं संपदा का नाम व विवरण लिखना आवश्यक होगा। साईनबोर्ड पर दुकान के विधिक प्रोपराईटर का नाम आवश्यक रूप से लिखना होगा।

14. दुकान के भीतर उसे व्यवसाय से संबधित अपने वैध लाईसेंस या पंजीयन प्रमाण पत्र को प्रदर्शित करना होगा। उक्त लाईसेंस या पंजीयन प्रमाण पत्र पर आवश्यक रूप से आवंटी का नाम होना चाहिये। यदि वह किसी फर्म या कम्पनी के नाम से है तो उसमें प्रोपराईटर का स्वामित्व आवश्यक रूप से आवंटी के नाम होना चाहिये। उक्त के अभाव में यह माना जायेगा कि मूल आवंटी किरायेदार द्वारा सम्पति को सबलेट कर नियमों का उल्लंघन किया गया है तथा उसकी किरायेदारी समाप्त की जा सकेगी एवं किरायेदार पर नियमानुसार दण्डात्मक/बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।

15. भवन के किसी भी विरूपण अथवा क्षति कारित किये जाने अथवा बिना अनुमति के परिवर्तन किये जाने अथवा शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर किरायेदारी समाप्त की

जा सकेगी एवं किरायेदार नियमानुसार दण्डात्मक एवं बेदखली कार्यवाही का भागी होगा।

16. निविदा में अंकित सम्पदाओं को अधिकतम 10 वर्ष की समयावधि तक के लिए किराये पर दिया जायेगा। तथा किराया राशि में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की उत्तरोत्तर वृद्धि की जावेगी। इसके अतिरिक्त देवस्थान विभाग /राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी इससे सम्बन्धित परिपत्रों तथा राजस्थान देवस्थान विभागीय किराया नीति–2021 के समस्त प्रावधान लागू होगे।
17. इच्छुक बोलदाता द्वारा कार्यालय की निरीक्षक/मंदिर प्रबन्धक से संपर्क कर बोली हेतु प्रस्तावित सम्पदाओं का भौतिक निरीक्षण किया जा सकता है। सम्पदा जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में किराये पर दी जायेगी। यदि उसमें मरम्मत की आवश्यकता हो तो सफल निविदादाता/अनुबन्धकर्ता विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर उसकी मरम्मत करवा सकता है।
18. विशेष परिस्थितियों में यदि किसी सम्पदा की नीलामी तिथि व समय में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो सम्बन्धित सम्पदा की नीलामी की तिथि व समय की सूचना बाद में पृथक से जारी कर दी जावेगी।
19. प्रत्येक बोली सहायक आयुक्त/आयुक्त/शासन सचिव, देवस्थान विभाग से अनुमोदन पश्चात् ही प्रभावी मानी जायेगी।
20. उक्त बोली को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
21. विभाग की उक्त वर्णित सम्पदा एवं आसपास स्थित विभाग की अन्य सम्पदा को किरायेदार किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचायेगा तथा सम्पदा को सुरक्षित रखेगा एवं राज्य सरकार द्वारा अथवा देवस्थान विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नवीन किराया नीति 2021 से बोलीदाता बाध्य रहेगा।
22. राज्य सरकार एवं आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा किराये पर दिये जाने की स्वीकृति में अन्य कोई शर्ते शामिल की जावेगी तो उनसे भी सम्बंधीत किरायेदार अनुबंधित (बाध्य) रहेगा।
23. नीलामी के समय अन्य कोई शर्त जोड़ने एवं घटाने का अधिकार नीलामी कमेटी को होगा।
24. देवस्थान विभाग की नवीन किराया नीति 2021 के अनुसार किरायेदार को प्रति वर्ष बाद मूल किराये की राशि में 5 प्रतिशत वृद्धि करनी होगी तथा नवीन किराये के अनुसार पुनः किरायानामा लिखना होगा।
25. किराये की सम्पदा पद प्रचलित एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा गृहकर, नगरपालिका, नगरविकास, न्यास या अन्य कोई कर लगाया जाता है तो किरायेदार को किराये के अतिरिक्त उसका भुगतान भी करना होगा।
26. किरायेदार द्वारा बिजली, पानी इत्यादि का कनेक्शन विभाग की अनुमति से स्वयं के खर्चे पर लेना होगा।

27. पुरातत्व संरक्षित मन्दिर/संस्था की सम्पदा होने की स्थिति में पुरातत्व संरक्षण नियमों की अनुपालना करनी होगी। ध्वनि, वायु, जलीय, रसायनिक प्रदुषण फैलाने वाला कोई कार्य नहीं कर सकेगा।

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

क्रमांक :— 2357 to 2366

दिनांक :— 27/12/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदया, उद्योग एवं वाणिज्य उपक्रम देवस्थान विभाग राजस्थान—सरकार।
2. आयुक्त महोदया, देवस्थान विभाग, राजस्थान—उदयपुर को सूचनार्थ एवं नीलामी सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु सादर प्रेषित है।
3. ए.सी.पी. महोदया, देवस्थान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को नीलामी सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
4. श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर को सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।
5. श्रीमान कोषाधिकारी, अलवर को सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।
6. श्रीमान मुख्य नगर परिषद अधिकारी, अलवर को सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।
7. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग भरतपुर/हनुमानगढ़/बीकानेर /जोधपुर/उदयपुर/वृन्दावन/ऋषभदेव /कोटा/ अजमेर/जयपुर (प्रथम) को अपने कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
9. निरीक्षक, देवस्थान विभाग, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि नीलामी सूचना की प्रति कार्यालय एवं मंदिर सम्पदा पर चस्पा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर